



Neutral Citation No. -

2026:AHC:60373

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2287 वर्ष 2026

हसीना

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: विवेक चतुर्वेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

### न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई।
2. आवेदक ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 07/2026 में धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. और डी.पी. एक्ट की धारा 3/4 के तहत अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है। पुलिस स्टेशन- मौरानीपुर, जिला- झांसी।
3. इस न्यायालय ने 11.03.2026 को आवेदक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, क्योंकि विद्वान ए.जी.ए. को निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे।
4. आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो विद्वान ए.जी.ए. ने बताया कि उन्हें इस मामले में निर्देश प्राप्त हो गए हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक मृतक की सास हैं और उनकी मृत्यु में उनकी कोई भूमिका नहीं है। विवाह 16.5.2024 को हुआ था और मृतक अपने पति से अलग रह रही थीं। आवेदक के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मृतक की मृत्यु किसी विषैले पदार्थ के सेवन से हुई है और दहेज की कोई मांग नहीं है। विचार-विमर्श के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन की देरी से दर्ज की गई है।

6. दूसरी ओर, माननीय ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि मृतक की सास होने के नाते, आवेदक इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। मृतक की मृत्यु विवाह के दो वर्ष के भीतर हुई है। दहेज की मांग के आरोप विशेष रूप से आवेदक और अन्य आरोपियों पर लगाए गए हैं। सह-आरोपी वहीद खान और शाहरुख खान भी जेल में हैं।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन किया है।

8. आवेदक पर दहेज मांगने और मृतक को परेशान करने का सामान्य आरोप लगाया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वह अपने बेटे और मृतक की लगभग 10 महीने की बच्ची सिमरन की देखभाल कर रही है। मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। शवस्था संरक्षित कर ली गई है। अभी तक शव रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मृतक का पति शाहरुख खान भी जांच का गवाह था। आवेदक मृतक की बच्ची की देखभाल करने वाली महिला है और उसका मामला सह-आरोपी, मृतक के पति से अलग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी एक दिन विलंबित है।

9. उपरोक्त वर्णित मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके द्वारा दिनांक 11.03.2026 के आदेश द्वारा दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत का दुरुपयोग करने की कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

11. आवेदक हसीना की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह पुलिस स्टेशन/न्यायालय के थाना अधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के दो जमानती और एक निजी मुचलका प्रस्तुत करे। निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- i. आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा।
  - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जो मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को, न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए हो;
  - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
  - iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;
12. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।
13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की योग्यता पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

**24 मार्च, 2026**

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

सचिन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"